

Order sheet [Contd]

case No: B.A. - 294 / 17

	Order or proceeding with signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
<p>24-08-17 03:00 to 03:15 pm</p>	<p>आवेदक/अभियुक्त घनश्याम द्वारा श्री प्रवीण गुप्ता अधिवक्ता उप०।</p> <p>राज्य द्वारा श्री बी.एस. बघेल अतिरिक्त लोक अभियोजक उप०।</p> <p>थाना मौ के अपराध क्रमांक 127/17 अंतर्गत धारा-420, 467, 468, 471 भा०दं०सं० की कैफियत एवं केस डायरी प्राप्त।</p> <p>आवेदक के जमानत आवेदन अंतर्गत धारा-438 दं०प्र०सं० के साथ आवेदक घनश्याम के द्वारा स्वयं का शपथपत्र प्रस्तुत किया गया है। शपथपत्र एवं आवेदन में यह बताया गया है कि यह आवेदक का प्रथम अग्रिम जमानत आवेदन अंतर्गत धारा-438 दं०प्र०सं० का है। इस प्रकृति का कोई आवेदन समक्ष न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय में न तो प्रस्तुत किया गया है, न खारिज हुआ है और न ही विचाराधीन है। ऐसा ही केश डायरी से भी स्पष्ट है।</p> <p>आवेदक घनश्याम के अग्रिम जमानत आवेदन अंतर्गत धारा-438 भा०दं०सं० पर उभयपक्ष के तर्क सुने गए।</p> <p>आवेदक की ओर से यह व्यक्त किया गया है कि उसने कोई अपराध नहीं किया है। आवेदक के विरुद्ध जो प्रकरण पुलिस थाना मौ के द्वारा पंजीबद्ध किया है वह दयाराम पुत्र रामचरन निवासी मौ के द्वारा सर्वे क्रमांक 3076 एवं 3077 के भूमिस्वामित्व के नम्बरान को बेताल सिंह यादव पुत्र शिवपाल सिंह यादव को किए गए विक्रयपत्र के आधार पर किया गया है। दयाराम के नाम के उक्त सर्वे नंबर संवत् 2031 लगायत 2035 एवं 2036 लगायत 2040 के खसरा पंचशाला के अनुसार भूमि स्वामी स्वत्व के रहे हैं और जिनका निरंतर इंद्राज दयाराम के नाम से भूमि स्वामी के रूप में खसरा पंचशाला में होता चला आ रहा है। जो कि उसके पटवारी कार्यकाल से पूर्व से है तथा नामांतरण पंजी क्रमांक 139 दिनांक 16.08.09 के आधार पर भी तहसीलदार मौ के द्वारा दयाराम पुत्र रामचरन कोरी को भूमि स्वामी घोषित किया है। इस प्रकार दयाराम द्वारा अपने स्वामित्व के खेत को विक्रय किया गया है। आवेदक का उक्त विक्रयपत्र से कोई संबंध नहीं है और न ही आवेदक को कोई लाभ अर्जित हुआ है। आवेदक के द्वारा कोई फर्जी दस्तावेज तैयार नहीं किया गया है और न ही उसका उपयोग किया है। आवेदक को जो रिकार्ड पूर्व पटवारी से चार्ज में प्राप्त हुआ है उसी को निरंतर अपने कार्यकाल में रखा है। सह अभियुक्त बेताल सिंह को भी माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर के विविध आपराधिक प्रकरण क्रमांक 7605/2017 आदेश दिनांक 28.07.17 के अनुसार जमानत पर</p>	

	Order or proceeding with signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleadings where necessary
	<p>रिहा किया जा चुका है। सहआरोपी के अपराध से आरोपी का अपराध भिन्न नहीं है, इसलिए समानता के सिद्धांत के आधार पर आवेदक को जमानत का लाभ दिया जाना न्यायाहित में आवश्यक है। उक्त आधारों पर अग्रिम जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना की गई है।</p> <p>राज्य की ओर से अग्रिम जमानत आवेदन का घोर विरोध करते हुए जमानत आवेदन निरस्त किए जाने पर बल दिया है।</p> <p>उभयपक्ष को सुने जाने तथा केफियत व केस डायरी का अध्ययन करने से स्पष्ट है कि मौजा कस्बा मौ, तहसील गोहद के सर्वे क्रमांक 3076 रकवा 0.021 एवं 3071 रकवा 0.094 शासकीय भूमि होते हुए फर्जी तौर पर दयाराम का नाम शासकीय पट्टेदार के रूप में इंड्राज किया गया है और दयाराम को वास्तविक भूमिस्वामी बताते हुए दिनांक 16.06.16 को उक्त भूमि दयाराम के द्वारा बेताल सिंह यादव को विक्रय करते हुए विक्रयपत्र निष्पादित किया गया है। आवेदक घनश्याम बघेल पर उक्त फर्जी इंड्राज किए जाने और उक्त फर्जी रिपोर्ट तैयार किए जाने का आक्षेप है। नामांतरण पंजी के अनुसार आवेदक तत्कालीन पटवारी के द्वारा दयाराम के भूमि स्वामी होने की फर्जी रिपोर्ट भी दी गई है। ऐसा कहीं भी प्रकट नहीं है कि भूमि हस्तांतरणीय होने से विक्रय किए जाने की अनुमति कलैक्टर से ली गई हो।</p> <p>आवेदक की ओर से सहअभियुक्त बेताल सिंह का अग्रिम जमानत आवेदन माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्वीकार किए जाने पर समानता आ आधार लिया गया है। परंतु बेताल सिंह के द्वारा उक्त भूमि का कय करना बताया गया है और आवेदक घनश्याम बघेल पर फर्जी इंड्राज एवं फर्जी रिपोर्ट देने के आक्षेप हैं। इस प्रकार आवेदक का मामला बेताल सिंह के समान नहीं है।</p> <p>अतः मामले की संपूर्ण परिस्थितियों तथ्यों एवं आवेदक के कृत्य को देखते हुए, जहां कि शासकीय भूमि को व्यक्तिगत भूमि के रूप में दर्ज करते हुए उसका विक्रय कर दिया गया है। वहां ऐसी स्थिति में आवेदक को अग्रिम जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है अतः जमानत आवेदन निरस्त किया गया।</p> <p>केस डायरी आदेश की प्रति के साथ वापिस की जावे।</p> <p>जमानत प्रपत्र नतीजा दर्ज करने के बाद अभिलेखागार में भेजा जावे।</p> <p>(मोहम्मद अजहर) द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश गोहद जिला भिण्ड</p>	

	Order or proceeding with signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)